बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

निबंधित

सं0 – 05 / स्था0 (आरोप)–08 / 2016 दिनांक–

श्री संजय कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, अररिया सम्प्रति जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 17 / 19 के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया को संचालन पदाधिकारी तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
3. श्री संजय कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर अपना लिखित बचाव बयान संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं जाँच में अपेक्षित सहयोग करेंगे।
4. संचालन पदाधिकारी 4 (चार) सप्ताह के अन्दर अपना जाँच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
5. यदि श्री कुमार विहित समय में अपना बचाव बयान नहीं देंगे तो उपलब्ध कागजातों के आधार पर संचालन पदाधिकारी अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर देंगे।

अनुलग्नक :– (i) आरोप पत्र (प्रपत्र 'क')
(ii) साक्ष्यों की छाया प्रति

ह0 / –
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

निबंधित
E-Mail

ज्ञापांक– 05 / स्था0 (आरोप)–08 / 2016 4644 दिनांक– 29/7/16

प्रतिलिपि : आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') तथा साक्ष्यों की प्रति सहित श्री संजय कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णिया / जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया / पूर्णियाँ / संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया–सह–संचालन पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

आरोप पत्र

प्रपत्र क

नाम – श्री संजय कुमार पद नाम – निम्न वर्गीय लिपिक वेतन मान – 5200–20,800 ग्रेड पे–1900 कोटि – ग		
आरोप का संक्षिप्त विवरण	विस्तृत आरोप	साक्ष्य
1	2	3
अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति	दिनांक 11.08.2011 के पूर्वा0 में अपने स्थानान्तरण के कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय, अररिया में योगदान देकर तथा दिनांक 12.08.2011 से 14.08.2011 तक का अवकाश का आवेदन देकर आप कार्यालय में कभी कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए। आपके द्वारा अवकाश के उक्त आवेदन के पश्चात कोई दूसरा आवेदन भी कार्यालय को नहीं दिया गया है। आपका यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता तथा सरकारी आचार संहिता के बिल्कुल प्रतिकूल है एवं गंभीर कदाचार है।	जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया का पत्रांक–384 दिनांक–28.06.2016 (सनुलग्नक)

साक्ष्यों की सूची–

1. जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–384 दिनांक–28.06.2016 की सानुलग्नक छायाप्रति

(राम किशोर मिश्र)
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना

28 Jun. 2016 4:45PM P1

जिला परिवहन कार्यालय, अररिया

पत्रांक 384/परि0

प्रेषक,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
अररिया

सेवा में,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार,पटना।

अररिया, दिनांक 28/06/2016

विषय : श्री संजय कुमार निम्न वर्गीय लिपिक,जिला परिवहन कार्यालय,अररिया के सम्बन्ध में।

प्रसंग : भवदीय ज्ञापांक 2915 दिनांक 17.06.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में सादर सूचित करना है कि जिला परिवहन कार्यालय पटना से जिला परिवहन कार्यालय,अररिया में स्थानान्तरित लिपिक श्री संजय कुमार ने इस कार्यालय में दिनांक 11.08.2011 के पूर्वाहन में अपना योगदान दिया, तथा 12.08.2011 से 14.08.2011 तक का क्रमशः आकस्मिक अवकाश/प्रतिबंधित अवकाश एवं रविवारीय अवकाश का आवेदन देकर आज तक अनुपस्थित है। इस बीच इस कार्यालय को अवकाश बढ़ोतरी हेतु आवेदन अथवा किसी तरह की सूचना उनसे अप्राप्त है। इसकी सूचना भवदीय को इस कार्यालय के पत्रांक 616 दिनांक 09.11.2011 द्वारा दी जा चुकी है। पत्रांक 616 दिनांक 09.11.2011 तथा अवकाश के अभ्यावेदन की अभिप्रमाणित प्रति एतद् सह संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित है।

विश्वासभाजन

जिला परिवहन पदाधिकारी
अररिया।

28/06 2016 15:48 RECEIVED FROM: 222124

#3557-001
#3557-002

9

जिला परिवहन कार्यालय, अररिया।

(परिवहन प्रशाखा)

पत्रांक 616 दिनांक 09/11/2011

प्रेषक - जिला परिवहन पदाधिकारी,
अररिया।

सेवा में,

राज्य परिवहन आयुक्त
परिवहन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय- श्री संजय कुमार, लिपिक द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में।

प्रसंग - भवदीय ज्ञापांक 267// दिनांक 20.06.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि जिला परिवहन कार्यालय पटना से जिला परिवहन कार्यालय, अररिया में स्थानान्तरित लिपिक श्री संजय कुमार ने, इस कार्यालय में दिनांक 11.08.2011 के पूर्वाहन में अपना योगदान दिया, तथा 12.08.2011 से 14.08.2011 तक का क्रमशः आकस्मिक अवकाश / प्रतिबंधित अवकाश एवं रविवारियअवकाश का आवेदन देकर आज अनुपस्थित हैं। इस बीच इस कार्यालय को अवकाश बढोतरी हेतु आवेदन अथवा किसी तरह की सूचना उनसे अप्राप्त है। लम्बी अवधि तक बिना किसी तरह की सूचना / आवेदन का अनुपस्थित रहना कार्य के प्रति इनकी लापरवाही तथा अनुशासनहीनता का द्योतक है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
अररिया।